

::न्यायालय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 भिण्ड, जिला-भिण्ड (म.प्र.):

(समक्ष- धनराज दुबेला)

फाइलिंग नंबर 230301013132015

व्यवहार वाद क0 01ए/2015 इ.दी.

संस्थित दिनांक-01.04.2015

1. बिनोद जैन, उम्र- 52 साल,
2. मनोज जैन, उम्र- 45 साल,
सभी पुत्रगण जयकुमार जैन
3. रमेशचंद्र उम्र- 70 साल पुत्र बाबूराम,
सभी निवासीगण- गांधी मार्केट, भिण्ड (म0प्र0).....वादीगण
विरुद्ध

1. म0प्र0शासन
द्वारा कलेक्टर महोदय, भिण्ड म0प्र0
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
भिण्ड म0प्र0प्रतिवादीगण

-:: निर्णय ::-

{ आज दिनांक 30 अगस्त, 2016 को घोषित किया गया }

1. वादीगण की ओर से यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादग्रस्त दुकान स्थित गांधी मार्केट, भिण्ड 10 फीट 6 इंच चौड़ी पूर्व-पश्चिम व 18 फीट गहरी उत्तर-दक्षिण के लिए वास्ते स्वत्व घोषणा के लिए प्रस्तुत किया गया है। वादीगण की ओर से वाद का मूल्यांकन दुकान का वर्तमान बाजार मूल्य रुपये पचास लाख निर्धारित कर निषेधाज्ञा के लिए रुपये एक हजार रुपये एवं स्वत्व घोषणा के लिए निश्चित न्यायशुल्क दो हजार रुपये जिस पर स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 120 कुल रुपये 2,120/- रुपये के न्यायशुल्क पर यह वाद प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण में कोई उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

3. वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादग्रस्त दुकान स्थित गांधी मार्केट भिण्ड जो 18 फीट 6 इंच चौड़ी पूर्व-पश्चिम व 18 फीट गहरी उत्तर-दक्षिण को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.02.1970 को वादीगण विनोद कुमार जैन और मनोज जैन के बाबा बाबूराम पुत्र मवासीलाल एवं पिता जयकुमार व वादी क.3 रमेशचंद्र जैन ने कय की थी। उक्त दुकान में वादीगण क.1 व 2 के बाबा बाबूराम ने अपना हिस्सा 1/3 की अपने एक मात्र पुत्र एवं वादीगण के पिता जयकुमार के नाम दिनांक 20.06.1990 को वसीयत की थी। बाबूराम की मृत्यु होने के पश्चात् उक्त दुकान में 2/3 भाग जायदाद दुकान का मालिक वादीगण क. 1 व 2 विनोद व मनोज के पिता जयकुमार व 1/3 भाग जायदाद के मालिक वादी क.3 रमेशचंद्र थे। रमेशचंद्र ने विवादित दुकान में अपना हिस्सा 1/3 यानी 6 फुट 2 इंच चौड़ी पूर्व-पश्चिम व 18 फीट गहरी उत्तर-दक्षिण दुकान भूतल के उपर की छत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.09.2000 को वादीगण क. 1 व 2 के पिता जयकुमार को विक्रय कर दी। इस प्रकार गांधी मार्केट भिण्ड में स्थित

दुकान पर वादी क्र.3 रमेशचंद्र पूर्व ओर की 6 फुट 2 इंच चौड़ी पूर्व पश्चिम व 18 फुट गहरी उत्तर-दक्षिण केवल भूतल पर स्थित दुकान का मालिक व काबिज जायदाद है व शेष जायदाद भाग भूतल पर 12 फुट 4 इंच चौड़ी पूर्व-पश्चिम व 18 फुट गहरी उत्तर-दक्षिण व उसके उपर संपूर्ण मकान 18 फीट उत्तर-दक्षिण भाग मकान का मालिक काबिज जयकुमार वादीगण क्र. 1 व 2 के पिता थे। वादीगण क्र.1 व 2 के पिता जयकुमार की दिनांक 12.05.2001 को मृत्यु होने से उनके पुत्रगण वादीगण विनोद जैन, मनोज जैन व अनिल जैन व मृतक जयकुमार की पत्नी 1/4, 1/4 समान भाग की मालिक/काबिज जायदाद हुई जिसमें अनिल कुमार ने अपना हिस्सा 1/4 वादीगण क्र. 1 व 2 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.08.2003 को विक्रय कर दिया व मां का हिस्सा उत्तराधिकार में वादीगण विनोद जैन व मनोज जैन को प्राप्त हुआ। इस प्रकार गांधी मार्केट भिण्ड स्थित दुकान पूर्वी भाग 6 फुट 2 इंच चौड़ी पूर्व-पश्चिम व 18 फुट गहरी उत्तर-दक्षिण केवल भूतल पर स्थित दुकान का मालिक वादी क्र.3 रमेशचन्द्र व शेष जायदाद भाग दुकान भूतल पर 12 फुट 4 इंच चौड़ी पूर्व-पश्चिम व 18 फुट गहरी उत्तर-दक्षिण व उसके उपर संपूर्ण मकान 18 फुट 6 इंच चौड़ी पूर्व-पश्चिम व 18 फुट गहरी उत्तर-दक्षिण भाग मकान का वादीगण क्र.1 व 2 विनोद जैन व मनोज जैन मालिक व काबिज जायदाद है। वादग्रस्त दुकान की चतुर सीमा के अनुसार पूर्व में रामसोनी का मकान, पश्चिम में राजेन्द्र सोनी का मकान, उत्तर में नाली व सरकारी सड़क एवं दक्षिण में रामसोनी व राजेन्द्र सोनी का मकान स्थित है।

4. वादीगण का यह भी अभिकथन है कि विवादित जायदाद की नगरपालिका, भिण्ड द्वारा निर्माण की अनुमति क्र. 158 दिनांक 07.08.1978 द्वारा स्वीकृति दी गयी थी उसी अनुसार निर्माण का किया गया था। इस प्रकार वादीगण का विवादित जायदाद में समस्त निर्माण वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.02.1970 द्वारा खरीदी जगह में है तथा उसके पश्चात् उत्तर में नगरपालिका की नाली बाद सरकारी सड़क है। वादीगण द्वारा विवादित जायदाद का सम्पत्तिकर/समेकित कर भी नगरपालिका भिण्ड में जमा किया जा रहा है। वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की गांधी मार्केट भिण्ड स्थित विवादित जायदाद के अलावा सरकारी भूमि/फूटपाथस/सड़क पर कभी भी स्थायी/अस्थायी/चलित अतिक्रमण नहीं किया गया है फिर भी नगरपालिका भिण्ड द्वारा नोटिस क्रमांक/अतिक्रमण /2013 दिनांक 16.05.2013 को वादीगण क्र.1 व 2 के पिता मृत जयकुमार जैन के नाम से विवादित जायदाद दुकान में 20 गुणा 12 का मिथ्या स्थायी अतिक्रमण बताकर नोटिस अवैध रूप से दिया एवं इसके पश्चात् पुनः नगर पालिका भिण्ड द्वारा नोटिस क्र./अति.श. /2014/2575/218 दिनांक 17.07.2014 से 10 गुणा 12 वर्गफीट का सड़क पर स्थायी अतिक्रमण का झूठा नोटिस दिया गया। इन अवैध नोटिसों की आड़ में प्रतिवादीगण क्र. 1 व 2 वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की 18 फीट 6 इंच गुणा 18 फीट बनी ईट/सीमेंट/रेत आदि से बनी संपूर्ण विवादित जायदाद को तोड़कर अवैध रूप से सरकारी सड़क में मिलाना चाहते हैं जिसका प्रतिवादीगण कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 17.07.2014 को प्रतिवादीगण क्र.2 मुख्य नगर पालिका अधिकारी व जिला प्रशासन के अधिकारीगण व उनके द्वारा लाये गये लेकर मशीन वादीगण की विवादित जायदाद दुकान/मकान में मिथ्या रूप से अतिक्रमण बताकर तोड़ने को आमाद हो गये व वादीगण का विवादित जायदाद में कोई स्वत्व होने से अवैध रूप से इंकार कर दिया। वादीगण ने प्रतिवादीगण म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर भिण्ड को रजिस्टर्ड ए.डी. से दिनांक 05.08.2014 को व प्रतिवादी क्र.2 मुख्य नगर पालिका अधिकारी भिण्ड को दिनांक 05.08.2014 को सूचना पत्र दिये जो प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गया है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त जायदाद/दुकान पर से मिथ्या रूप से सड़क आदि का अतिक्रमण बताकर विवादित

जायदाद को तोड़ने पर आमादा है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त जायदाद से वादीगण को बेदखल करने एवं विवादित जायदाद को तोड़ने को आमादा है। इसी आधार पर वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादग्रस्त जायदाद वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की है, यह घोषित किये जाने के लिए एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त दुकान/जायदाद को वादीगण से बेदखल न करने एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए यह वाद प्रस्तुत किया गया है।

5. प्रतिवादी क. 2 की ओर से वादीगण के वाद का उत्तर प्रस्तुत कर वादपत्र की कॉलम सं0 1,2 व 3 के अभिकथनों को स्वीकार नहीं किया है। वाद पत्र की कंडिका-4 का जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने नोटिस के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। नगरपालिका की मजबूरी हो गयी है क्योंकि अतिक्रमण होने से वहां पर रोड अत्यधिक संकरा व जनता को आवागमन में अत्यधिक परेशानी होती है। वादीगण वादपत्र में उपकॉलम अ,ब,स,द में चाही गयी कोई भी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतिरिक्त आपत्तियां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा रिट पिटीशन क. 5997/12 पी.आई.एल. में दिनांक 14.09.2012 को अतिक्रमण हटाने का आदेश हो चुका है। उसके बाद भी अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था उसके बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया। इस कारण माननीय उच्च न्यायालय ने शासन नगरपालिका को अवलेहना का नोटिस भेजा है। ऐसी स्थिति में शीघ्र ही अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है। वादीगण ने प्रतिवादी को परेशान करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर झूठा दावा प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद सब्यय निरस्त किया जावे।

6. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद में निम्न वादप्रश्नों की विरचना की गयी जिनके निष्कर्ष समक्ष में मेरे द्वारा दिये जा रहे हैं, :-

वाद प्रश्न

निष्कर्ष

1.	क्या, दाविया दुकान दिनांक 26.02.70 को वादीगण के बाबा बाबूराम पिता जयकुमार एवं वादी क.3 रमेश ने कय की थी ?	हां, प्रमाणित
2	क्या, वादीगण दाविया दुकान के वैध स्वत्वाधिकारी एवं आधिपत्यधारी हैं ?	प्रमाणित नहीं
3	क्या, प्रतिवादी नगरपालिका द्वारा वादीगण को अतिक्रमण हटाने विषयक सूचना पत्र अवैध रूप से दिया है ?	प्रमाणित नहीं
4	सहायता एवं व्यय ?	वादीगण का वाद सब्यय निरस्त किया गया।

वाद प्रश्न क्रमांक 1 पर निष्कर्ष

7. इस वाद प्रश्न को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। इस संबंध में वादी विनोद (वा0सा0-1) ने अपने वादपत्र एवं शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया

है कि दाविया दुकान दिनांक 26.02.1970 को उसके बाबा बाबूराम पिता मवासी लाल एवं पिता जयकुमार व चाचा रमेशचंद्र जैन ने विक्रेतागण रमेश बाबू पुत्र राजाराम व महिला रामाबाई विधवा राजाराम से रुपये 12,000/- में खरीदी थी। उसके बाबा ने अपना हिस्सा 1/3 उनके पिता जयकुमार के नाम दिनांक 20.06.1990 को बसीयत की थी। उसके बाद बाबाराम की वर्ष 1994 में मृत्यु हो चुकी है। उसके बाबा की मृत्यु के बाद उक्त जायदाद दुकान में 2/3 भाग का मालिक उसके पिता जयकुमार व 1/3 भाग के मालिक उसके चाचा रमेशचंद्र थे। उसके चाचा रमेश चंद्र ने संपूर्ण जायदाद दुकान में अपना हिस्सा 1/3 6 फीट 2 इंच चौड़ी पूर्व पश्चिम 18 फीट गहरी उत्तर-दक्षिण दुकान भूतल के उपर की छत रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 23.09.2000 उसके पिता जयकुमार को विक्रय कर दी। इस प्रकार गांधी मार्केट भिण्ड स्थित जायदाद दुकान पर उसके चाचा रमेशचंद्र पूर्व ओर की 6 फीट 2 इंच चौड़ी पूर्व-पश्चिम व 18 फीट गहरी उत्तर-दक्षिण केवल भूतल पर स्थित दुकान का मालिक व काबिज जायदाद हैं व शेष जायदाद भाग भूतल पर 12 फीट 4 इंच चौड़ी पूर्व पश्चिम व 18 फीट गहरी उत्तर-दक्षिण व उसके उपर संपूर्ण जायदाद मकान 18 फीट 6 इंच चौड़ा पूर्व-पश्चिम व 18 फीट गहरी उत्तर दक्षिण का मालिक व काबिज उनके पिता जयकुमार हुये थे।

8. इस संबंध में वादीगण की ओर से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.02.1970 असल प्र.पी/1, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.09.2000 प्र.पी/2 एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.08.2003 प्र.पी/3 प्रस्तुत किये गये हैं जिनका परिशीलन किया गया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्र.पी/1 के परिशीलन से यह प्रदर्शित होता है कि विक्रेतागण रमेश बाबू पिता राजाराम व महिला रामाबाई विधवा राजाराम के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा बाबूराम पिता मवासीलाल व जयकुमार व रमेशचन्द्र पुत्रगण बाबूराम के पक्ष में अपने स्वामित्व व आधिपत्य की दुकान जो उत्तर मुखी होकर पीछे दो कमरा व आगे सायवान दो दर का है, स्थित है और यह दुकान पूर्व से पश्चिम 18 फीट 6 इंच है व चौड़ी उत्तर दक्षिण 18 फीट है, जिसके उत्तर में सदर रोड जो रेल्वे स्टेशन से किला भिण्ड की ओर गयी है, दक्षिण में मकान बट्टी तैली, पूर्व में दुकान बट्टी तैली व पश्चिम में मकान समोखनलाल सुनार का है, रुपये 12000/- में विक्रेता के द्वारा क्रेता को दी गयी थी।

9. वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्र.पी/2 के विक्रय पत्र का परिशीलन किया गया, जिसके परिशीलन से यह प्रदर्शित होता है कि रमेशचंद्र पुत्र बाबूराम जैन विक्रेता के द्वारा क्रेता जयकुमार पिता बाबूराम जैन को अपने स्वत्व की दुकान में से अपना हिस्सा रुपये 31,000/- में विक्रय कर दी जिसमें सहमतिकर्ता राजेश कुमार, संजीव कुमार पुत्रगण रमेशचंद्र जैन का नाम अंकित है। इस विक्रय पत्र के साथ नक्शा संलग्न है, जिसके अनुसार विक्रय की गयी दुकान के उत्तर में किला रोड, दक्षिण में जगमू सोनी का मकान, पश्चिम में क्रेता जयकुमार की दुकान एवं पूर्व में रामदास सोनी का मकान दर्शाया गया है जो उत्तर-दक्षिण 6 फीट 2 इंच व पूर्व-पश्चिम 18 फीट दर्शायी गयी है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्र.पी/3 के विक्रय पत्र का परिशीलन किया गया, जिसमें विक्रेता अनिल कुमार जैन के द्वारा अपने हिस्से की विक्रीत जमीन जिसका क्षेत्रफल 20.74 वर्गमीटर है, को विनोद कुमार जैन व मनोज कुमार जैन पुत्रगण जयकुमार जैन को रुपये 1,95,000/- में विक्रय करने का उल्लेख किया है। जिसमें विक्रीत दुकान स्थित कस्बा भिण्ड किला रोड परगना व जिला भिण्ड में स्थित होकर तल मंजिल का संपूर्ण क्षेत्रफल 20.74 को विक्रय करने का उल्लेख है। इस विक्रय पत्र के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत है। प्रतिपरीक्षण में इस संबंध में इस साक्षी के कथनों में ऐसा कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं आया है जिससे कि इस साक्षी के कथन

अविश्वसनीय होना प्रतीत होते हैं तथा इसके द्वारा प्रस्तुत प्र.पी/1, प्र.पी/2 एवं प्र.पी/3 के दस्तावेज असत्य रूप से बनाकर प्रस्तुत किये गये हों।

10. वादीगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में गोपाल मिश्रा (वा0सा0-2) के कथन न्यायालय के समक्ष कराये हैं। गोपाल मिश्रा (वा0सा0-2) ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्रीय कथन में वादी विनोद कुमार जैन (वा0सा0-1) के कथनों का समर्थन करते हुये बताया है कि गांधी मार्केट भिण्ड स्थित दुकान 18 फीट 6 इंच पूर्व-पश्चिम व 18 फीट गहरी उत्तर-दक्षिण रजिस्टर्ड बयनामा द्वारा लगभग 45 वर्ग फीट पूर्व बाबूराम पिता मवासी लाल व उनके पुत्रगण जयकुमार व रमेश चंद्र ने महिला रामाबाई विधवा राजाराम व रमेशचन्द्र पुत्र राजाराम से 12000/- रुपये में उसके समक्ष खरीदी थी। उक्त दुकान का कब्जा बाबूराम, जयकुमार व रमेश चन्द्र को दिया था। बाबूराम व उनके पुत्र जयकुमार की मृत्यु हो चुकी है। उक्त विवादित जायदाद दुकान पर वह 45 वर्षों से बाबूराम, जयकुमार, रमेशचंद्र व बाबूराम, जयकुमार की मृत्यु के पश्चात जयकुमार के लड़के विनोद जैन, मनोज जैन व रमेशचन्द्र को बराबर करीबार करता देखता है। इस संबंध में इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं आया है जिससे कि इस साक्षी के कथन असत्य अथवा बनावटी होना प्रतीत होते हों।

11. इस संबंध में प्रतिवादी क.2 की ओर से वादोत्तर में वादीगण के इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया है कि वादीगण के बाबा बाबूराम व वादी रमेश चंद्र ने दिनांक 26.02.1970 के बयनामा के द्वारा 18 फुट 6 इंच लंबी व 18 फुट गहरी दुकान खरीदी थी व बाबूराम ने अपना हिस्सा 1/3 अपने पुत्र जयकुमार को 20.06.1990 को वसीयत की थी तथा रमेशचंद्र ने अपना हिस्सा जयकुमार को विक्रय कर दिया। प्रतिवादी क.2 के द्वारा वादीगण के इस तथ्य को भी स्वीकार नहीं किया गया है कि वादीगण के द्वारा नगरपालिका की अनुमति लेकर वादग्रस्त दुकान का निर्माण कराया गया व उसी भाग पर वादीगण काबिज हैं। इस संबंध में प्रतिवादी साक्षी जे0एन0पारा (प्र0सा0-1) ने भी अपने शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण में भी यह अभिकथन किया है कि वादीगण ने जो बयनामा विक्रेता रमेश बाबू पुत्र राजाराम व क्रेता बाबूराम पुत्र मवासी व जयकुमार व रमेशचंद्र पुत्रगण बाबूराम को विक्रय किया था। इस साक्षी के कथनों से यह प्रकट नहीं होता है कि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र प्र.पी/1,2,3 असत्य रूप से बनवाये गये हों। प्रतिवादी क.2 की ओर से अपने पक्ष समर्थन में दीपक अग्रवाल प्र.सा.-2 के कथन न्यायालय के समक्ष करवाये गये हैं। इस साक्षी ने अपने शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण में वादीगण के द्वारा प्रस्तुत बयनामा को गलत बताया है। किन्तु इस साक्षी के कथनों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वादीगण की ओर से प्रस्तुत विक्रय पत्र प्र.पी/1,2,3 वादीगण के द्वारा असत्य रूप से बनवाये गये।

12. वादीगण के द्वारा प्र.पी/1, प्र.पी/2 एवं प्र.पी/3 के विक्रय पत्र के परिशीलन से वादीगण के इस कथन को बल मिलता है कि विक्रय पत्र प्र.पी/1 के अनुसार बाबूराम पुत्र मवासी लाल एवं जयकुमार व रमेशचंद्र के द्वारा वादग्रस्त दुकान विक्रेता रमेश बाबू पुत्र राजाराम व महिला रामाबाई विधवा राजाराम से जय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी। प्र.पी/2 के विक्रय पत्र के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता रमेश चंद्र के द्वारा क्रेता जयकुमार के पक्ष में अपने स्वत्व का 1/4 हिस्सा विक्रय कर दिया था जिसमें सहमतकर्ता राजेश कुमार एवं संजीव कुमार शामिल थे। विक्रय पत्र प्र.पी/3 के परिशीलन से यह प्रदर्शित होता है कि विक्रेता अनिल कुमार जैन के द्वारा अपना 1/4 हिस्सा 5.18 वर्गमीटर व दुकान के उपर का संपूर्ण क्षेत्रफल 30.94 वर्गमीटर क्रेता विनोद कुमार व मनोज कुमार जैन को रुपये 1,95,000/- में विक्रय कर दिया। अतः इस वाद

प्रश्न का निराकरण वादीगण के पक्ष में सकारात्मक रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक 2 पर निष्कर्ष

13. इस वाद प्रश्न को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। इस संबंध में वादीगण की ओर से अपने वाद पत्र में एवं शपथपत्रीय मुख्य परीक्षण में विनोद (वा०सा०-1) ने यह अभिकथन किया है कि वादीगण दाविया दुकान के वैध स्वत्वधारी व आधिपत्यधारी हैं। वादीगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में गोपाल मिश्रा (वा०सा०-2) के कथन न्यायालय के समक्ष कराये गये हैं। इस साक्षी ने भी वादी विनोद कुमार जैन के कथनों का समर्थन करते हुए अपने शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण में यह अभिकथन किया है कि वादग्रस्त दुकान के वादीगण वैध रूप से स्वत्वधारी व आधिपत्यधारी हैं। प्रतिवादी क्र.2 की ओर से अपने वादोत्तर में एवं साक्षी जे०एन०पारा (प्र०सा०-1) ने अपने शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण में यह अभिकथन किया है कि वादी ने जो बयनामों विक्रेता रमेश बाबू पुत्र राजाराम केता रामबाबू पुत्र मवासी व जयकुमार व रमेश चंद्र पुत्र बाबूराम का प्रस्तुत किया गया है वह गलत है। वादी ने दुकान के 20 गुणित 12 फीट भाग में अतिक्रमण करके निर्माण कार्य कर लिया है जिसके संबंध में उसके पूर्व अधिकारी के द्वारा दिनांक 16.05.2012 एवं 17.07.2014 को नोटिस दिये गये थे इसके बावजूद वादीगण ने अतिक्रमण नहीं हटाया है। इस संबंध में वादीगण की ओर से सूचना पत्र जो कि प्रतिवादी क्र.2 के द्वारा वादी को दिये गये थे प्र.पी/4 व प्र.पी/5 का प्रस्तुत किया गया है, का परिशीलन किया गया। जिसके परिशीलन से यह प्रदर्शित होता है कि वादीगण के द्वारा वादग्रस्त दुकान पर जो अतिक्रमण किया गया था उसे हटाने के संबंध में प्रतिवादी क्र.2 द्वारा वादीगण को समय-समय पर सूचना पत्र दिये गये थे।

14. इस संबंध में वादी विनोद कुमार (वा०सा०-1) के कथन इस कारण विश्वसनीय होना प्रतीत नहीं होते क्योंकि वादीगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में प्र.पी/6 का सूचना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो वादीगण के द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, भिण्ड प्रतिवादी क्र.2 को दिया गया था। जिसमें उसके द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि सूचना पत्र के साथ उसके द्वारा बयनामा, नक्शा निर्माण की स्वीकृति, नामांतरण आदि की प्रति संलग्न की गयी है। किन्तु इस संबंध में वादीगण की ओर से ऐसे कोई विश्वसनीय साक्ष्य या दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये कि जिससे यह प्रकट हो कि वादग्रस्त दुकान निर्माण के समय वादीगण के द्वारा प्रतिवादी क्र.2 से कोई लिखित स्वीकृति ली गयी हो। जबकि वादी विनोद (वा०सा०-1) ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-11 में यह सही होना कहा है कि निर्माण की अनुमति की नकल प्रकरण में पेश नहीं की है। निर्माण की अनुमति किस वर्ष में ली गयी थी उसे याद नहीं है। जबकि वादीगण की ओर से प्रस्तुत विक्रय पत्र प्र.पी/1 के साथ कोई नक्शा संलग्न नहीं है। वादीगण की ओर से ऐसी भी कोई विश्वसनीय साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे यह प्रकट हो कि उनके द्वारा विक्रय पत्र प्र.पी/1,2,3 में दर्शायी गयी भूमि पर ही अपनी दुकान का निर्माण कर उसमें अपना व्यापार किया जा रहा हो। वादीगण की ओर से ऐसी कोई विश्वसनीय साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे प्रकट हो कि उनके द्वारा विवादित दुकान की भूमि से अधिक भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है। जिससे यह निष्कर्ष समक्ष में नहीं आता है कि वादीगण दाविया दुकान में विक्रय पत्र प्र.पी/1, प्र.पी/2 व प्र.पी/3 में दर्शायी गयी भूमि जितनी उनके द्वारा कय की गयी थी उतने भाग पर वे वैध रूप से स्वत्व व आधिपत्यधारी रहे हों, उससे अधिक भूमि पर उनके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया हो। अतः इस वाद प्रश्न का निराकरण वादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक 3 पर विवेचन व निष्कर्ष

15. इस वाद प्रश्न को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। इस संबंध में वादीगण की ओर से अपने वादपत्र एवं शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण में वादी विनोद (वा0सा0-1) ने यह अभिकथन किया है कि गांधी मार्केट भिण्ड स्थित जायदाद की नगर पालिका भिण्ड द्वारा 18 फीट 6इंच गुणित 18 फीट में निर्माण की अनुमति लगभग 37 वर्ष पूर्व दी गयी थी उसी अनुसार निर्माण कराया था। वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की जायदाद 18 फुट 6 इंच चौड़ी पूर्व-पश्चिम व 18 फीट गहरी उत्तर-दक्षिण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.02.1970 द्वारा खड़ी जगह में ही निर्माण है व उसके पश्चात् उत्तर में नगरपालिका की नाली बाद सरकारी सड़क हैं। नगर पालिका भिण्ड द्वारा लगभग दो वर्ष पूर्व उसके पिता मृत जयकुमार के नाम से विवादित जायदाद में 20 गुणित 12 फीट का मिथ्या रूप से स्थायी अतिक्रमण बताकर अवैध रूप से नोटिस दिया गया। इसके पश्चात् फिर एक वर्ष पूर्व 10 गुणित 12 फीट का सड़क पर स्थायी अतिक्रमण का झूठा नोटिस दिया गया और इस झूठे बनावटी नोटिस की आड़ में म0प्र0शासन कलेक्टर व नगरपालिका अधिकारी, भिण्ड वादीगण के स्वत्व व आधिपत्य की 18फीट गुणित 6 इंच गुणित 18 फीट में बनी ईट/सीमेंट/रेत आदि से बनी संपूर्ण जायदाद को तोड़कर अवैध रूप से सरकारी सड़क में मिलाना चाहते हैं जिनका उसे कोई अधिकार नहीं है।

16. इस संबंध में प्रतिवादी क.2 की ओर से साक्षी जे0एन0पारा (प्र0सा0-1) के शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें उसमें अभिकथन किया है कि वादी की दुकान मिठाई एवं नमकीन की गांधी मार्केट भिण्ड में स्थित है इस दुकान में 20 फीट गुणित 12 फीट में वादी ने अतिक्रमण करके निर्माण कार्य कर लिया है इस संबंध में उसके पूर्व अधिकारी के द्वारा दिनांक 16.05.2012 व 17.07.2014 को नोटिस दिये गये थे। इसके बावजूद भी वादीगण ने अतिक्रमण नहीं हटाया। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के रिट याचिका क्र. 29/13 तथा आई.पी.एल. रिट पिटीशन क्र. 5997/2012 में यह आदेश दिये गये हैं कि अतिक्रमण हटाया जावे जिसके संबंध में नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावेगी। प्रतिवादी क.2 की ओर से अपने पक्ष समर्थन में दीपक अग्रवाल उपयंत्री (प्र0सा0-2) के शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं। इस साक्षी ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह अभिकथन किया है कि वादी की दुकान मिठाई एवं नमकीन की गांधी मार्केट के पास स्थित है। इस दुकान में 20 गुणित 12 फीट भूमि में वादी ने अतिक्रमण करके निर्माण कार्य किया है। इस संबंध में पूर्व सी.एम.ओ. द्वारा 16.05.2012 व 17.07.2014 को वादीगण को सूचना पत्र दिये गये थे उसके पश्चात् भी वादीगण ने अतिक्रमण नहीं हटाया है। इस साक्षी ने अपने शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कन्टेन्ट केस क्र. 29/13 तथा आई.पी.एल.रिट क्र. 5997/12 में दिये गये आदेश का उल्लेख किया है।

17. इस संबंध में वादी विनोद कुमार (वा0सा0-1) के कथन इस कारण विश्वसनीय होना प्रतीत नहीं होते हैं क्योंकि प्रतिपरीक्षण की कंडिका-11 में साक्षी ने यह सही होना कहा है कि निर्माण की अनुमति की नकल प्रकरण में पेश नहीं की गयी है। निर्माण की अनुमति किस वर्ष मिली थी उसे याद नहीं है। वादी की ओर से प्र.पी/6 व प्र.पी/7 की सूचना पत्र अपनी ओर से प्रतिवादी को देना प्रकट किया गया है। सूचना पत्र प्र.

पी/6 में वादी की ओर से इस बात का उल्लेख किया गया है कि जबाव के साथ बयनामा, नक्शा निर्माण स्वीकृति, नामांतरण आदि की प्रति संलग्न की गयी है। किन्तु इस संबंध में वादी की ओर से विवादित दुकान के निर्माण की स्वीकृति, नक्शा निर्माण, नामांतरण आदि की प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। जबकि प्रतिवादी क्र.2 की ओर से अपने जबाव में एवं शपथ पत्रीय मुख्य परीक्षण में यह स्पष्ट अभिकथन किया है कि म०प्र० उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष कन्टेन्ट पिटीशन क्र. 29/13 तथा आई.पी.एल. पिटीशन क्र. 5887/12 में यह आदेश दिये गये हैं कि अतिक्रमण हटाया जावे। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कन्टेन्ट पिटीशन क्र. 29/13 तथा आई.पी.एल. पिटीशन क्र. 5997/12 के बारे में कोई खण्डन वादीगण की ओर से नहीं किया गया है।

18. वादीगण की ओर से न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई विश्वसनीय साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं जिससे प्रकट हो कि प्रतिवादी नगर पालिका द्वारा वादीगण को अतिक्रमण हटाने विषयक दिया गया सूचना पत्र प्र.पी/4 व 5 अवैध रूप से दिया गया हो। इस संबंध में वादीगण की ओर से न्यायद दृष्टांत छोगामल विरुद्ध मांगीलाल 1988(1) नोट क्र. 238 प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 90— तीस वर्ष से पुराना अभिलेख—उपधारणा उपलब्ध— लेखक का परीक्षण किये जाने की आवश्यकता उदभूत नहीं होगी। उक्त न्याय दृष्टांत का लाभ वादीगण को इस प्रकरण में प्राप्त नहीं होता है क्योंकि इस प्रकरण के तथ्य व परिस्थिति भिन्न हैं।

19. वादीगण की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टांत म्युनिस्पल कारपोरेशन वसौदा विरुद्ध सुरेश चन्द्र जैन 1992 (1) नोट क्र.180 प्रस्तुत किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 323 नगर पालिका अधिनियम— अतिक्रमण किया गया क्षेत्र नगरपालिका का होना साबित नहीं— अभियुक्त ने रजिस्ट्रीकृत विक्रय अभिलेख फाइल किया गया—दोषमुक्ति समुचित है। उक्त न्याय दृष्टांत का भी लाभ वादीगण को इस प्रकरण में प्राप्त नहीं होता है क्योंकि इस प्रकरण के तथ्य व परिस्थिति भिन्न हैं।

20. वादीगण की ओर से यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। अतः इस वाद प्रश्न का निराकरण वादीगण के विरुद्ध नकारात्मक रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक 4 पर निष्कर्ष अनुतोष एवं व्यय

21. वाद प्रश्न क्र.1 के निष्कर्ष के अनुसार वादीगण यह सिद्ध करने में सफल रहे हैं कि दाविया दुकान दिनांक 26.02.1970 को वादीगण के बाबा बाबूराम पिता जयकुमार एवं वादी क्र.3 रमेश ने कय की थी। वाद प्रश्न क्र.2 के निष्कर्ष के अनुसार वादीगण यह सिद्ध करने में सफल नहीं रहे हैं कि वादीगण दाविया दुकान के विक्रय पत्रों के अनुसार कय किये गये क्षेत्रफल पर ही वैध स्वामित्वधारी व आधिपत्यधारी है। वाद प्रश्न क्र.3 के अनुसार भी वादीगण यह सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि प्रतिवादी नगरपालिका द्वारा वादीगण को अतिक्रमण हटाने विषयक सूचना पत्र अवैध रूप से दिया गया। ऐसी स्थिति में वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध चाही गयी सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अतः एतद् द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद सव्यय निरस्त किया जाता है।
वादीगण स्वयं के वाद व्यय के साथ प्रतिवादीगण का वाद व्यय भी स्वयं वहन करेंगे।

अभिभाषक शुल्क सूची अनुसार प्रस्तुत किये जाने पर जो भी न्यून हो समाहित की जावे।

22. तदनुसार जयपत्र अभिरचित किया जावे।

स्थान—सिविल न्यायालय, भिण्ड
दिनांक— 30 अगस्त, 2016

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे आलेख पर टंकित

{धनराज दुबेला}
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—1
भिण्ड {म.प्र.}

{धनराज दुबेला}
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—1
भिण्ड {म.प्र.}

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)